कार्यालय नायब तहसीलदार रुपनगढ,जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं0 45/2022
उनवान

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91
राज. भू राजस्व अधि0 1956

सरकार जरिये प0ह0 रूपनगढ

बनाम

श्रवणलाल, हरिराम पि0 मदनलाल जाति जाट निवासी रूपनगढ, रामदयाल पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी सिणगारा

निर्णय

दिनांक 04/11/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम रूपनगढ के आराजी खसरा नं0 1959 किस्म गे0मु0 खारडा रकबा 3.2360 है0 पर से रकबा 1.6180 है0 में मूंग उगाकर तथा रकबा 1.6180 है0 पर पडत कब्जा कर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने पर मामला अन्तर्गत 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार कर छोडने का निवेदन किया। गैरसायलान उपस्थित हुऐ । गैरासायलान ने अतिक्रमण करना स्वीकार किया । बचाव पक्ष में अन्य कोई सबूत पेश करना नही चाहा ! अतः गैरसायलान को अतिक्रमी घोषित कर मामला निर्णित किया जाता है !

अतः आदेश दिये जाते है कि गैरसायल को ग्राम रूपनगढ के आराजी खसरा नं0 1959 किस्म गे0मु0 खारडा रकबा 3.2360 है0 पर से रकबा 1.6180 है0 को अनाधिकृत मूंग तथा रकबा 1.6180 है0 को अनाधिकृत पडत कब्जा से बेदखल किया जाता है तथा लगान 6.50 रूपये का 50 गुणा 325.00 रूपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का प्रश्नगत आराजी पर खडी फसल को निलामी कर फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

पटवारी/टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो ।

नायब तहसीलदार
तहसील रूपनगढ (अजमेर)
नायब तहसीलदार रुपनगढ
जिला –अजमेर